भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2076

15 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण केन्द्र/हब

2076. श्री मोहनभाई कुंडारिया:
श्री पी.सी.मोहन:
श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी पांच वर्षों में भारत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण का केंद्र बन जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भारत के समक्ष मुख्य मुद्दे क्या हैं;

(घ) भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के लिए बदलते व्यापार के अवसरों की क्या संभावनाएं है; और

(ड.) क्या इन कदमों से देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ङ) : महोदय, भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और देश के आर्थिक विकास में सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में उन्नत केमिस्ट्री सेल (एसीसी), बैटरी भंडारण के लिए विनिर्माण केंद्रों की स्थापना हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी जिसकी कुल विनिर्माण क्षमता 50 गीगावाट घंटा है। साथ ही, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों सहित ऑटो क्षेत्र हेतु उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में

ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग हेतु 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय भारत में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण के चरण-II का प्रशासन कर रहा है। इस चरण में सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहयोग और सब्सिडी के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई- दुपहिया वाहनों के लिए सहायता दी जानी है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच रेंज संबंधी चिंता को दूर करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण के लिए भी सहायता दी जाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों और आईसीई वाहनों के बीच के लागत अंतर को कम करने के लिए फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के तहत - इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन के माध्यम से सहायता दी जा रही है।

इसके अलावा,देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं -

i. फेम-II स्कीम के तहत वाहन लागत की 20% की सीमा को बढ़ाकर 40% करते हुए मांग प्रोत्साहन को 10,000 रूपए/किलोवाट घंटा से बढ़ाकर 15,000 रुपये/किलोवाट घंटा कर दिया गया है। इस प्रकार इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की लागत आईसीई दुपहिया वाहनों के बराबर हो गई है।

ii. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है; इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

iii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलेगी।

******